

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
शुद्धि पत्र संख्या – 01/2016–17

दिनांक : 19–05–2016

आयोग के संयुक्त विज्ञापन संख्या 08/2011–12 दिनांक 20.7.2011 की पद क्रम संख्या 3 पर मत्स्य विभाग के लिए सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के 4 पद विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् पदों की संख्या 8 हो जाने के कारण शुद्धि पत्र संख्या 04/2013–14 दिनांक 30.7.2013 जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। आयोग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या 08/2011–12 एवं शुद्धि पत्र संख्या 04/2013–14 को निरस्त किया जाता है। अतः उक्त विज्ञापन एवं शुद्धि पत्र के तहत जिन आवेदकों ने सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों हेतु आवेदन किया है, वे शुल्क वापसी हेतु अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र की प्रति एवं आई.डी. प्रूफ की प्रति भेजते हुए अपने आवेदन पत्र में बैंक का नाम, बैंक अकाउन्ट नं., आई.एफ.एस. कोड एवं **Payable Branch** का नाम अंकित करते हुए दिनांक 03.06.2016 तक अपना आवेदन आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(भगवत सिंह राठौड़)
सचिव
